फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय

संख्या

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	12/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस हेतु [illegible] किया गया। पत्रावली दिनांक 16/8/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	16/8/24	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता [illegible] कण्डोलेंस/कार्य का बहिष्कार करने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/8/24 पेश हुई। (हस्ताक्षर)	
	30/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादी ने लिखित बहस पेश की तथा वकील प्रतिवादी ने मौखिक बहस हेतु [illegible] पेश की। जिसे स्वीकार किया गया। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 2/9/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर	
	2/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय	

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विव
		पत्र उपरोक्त पत्रावली आदेश, में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों को प्रार्थना पत्र, रिकार्ड (मौका रिपोर्ट) एवं अन्य पत्रावली पर अवलोकन किया तथा वकील उभय पक्षों की बहस को श्रवण किया गया। अतः प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 भू-राजस्व एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली के नियमानुसार [illegible] नकल जारी की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
118/2023	27/07/2023	02.09.2024

1. अब्दूल निजाम पुत्र समद खां
2. अब्दूल लतिफ पुत्र समदखां
3. अमीन खां पुत्र जमाल खां
4. असन पुत्र समद खां
5. आबीद हुसैन पुत्र हुसैन खां
6. इकबाल खां पुत्र जमाल खां
7. इमामुददीन पुत्र कासीम खां
8. इस्लाम खां पुत्र जमाल खां
9. गफफार खां पुत्र कासीम खां
10. जमीला बेगम पत्नि हुसैन खां
11. बाबू खां पुत्र जमाल खां
12. मोहम्मद नदीम पुत्र अमीर खां
13. युसुफ खां पुत्र जमाल खां
14. सादीक हुसेन पुत्र हुसैन खां

समस्त जाति मुसलमान निवासी ग्राम रामपुरावास थली, तहसील आंधी जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रवण लाल पुत्र रामनारायण
2. धन्नी देवी पत्नि रामजीलाल
3. रामगोपाल पुत्र रामनारायण
4. लक्ष्मी देवी पत्नि रामरतन
5. सुखपाल पुत्र जन्सी

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम रामपुरावास थली, तहसील आंधी जिला जयपुर राजस्थान।

6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, आंधी, तहसील आंधी, जिला जयपुर राजस्थान ।
7. उप पंजियक, उप पंजियक कार्यालय आंधी जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री किशन लाल – वकील प्रार्थीगण
श्री महेश शर्मा – वकील अप्रार्थी सं0 1 ता 5

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 एल0आर0 एक्ट
बाबत् नक्शा दुरूस्ती

–:निर्णय :–

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री किशनलाल के यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण नक्शा दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 25 रकबा 2.2400है0 के साबिक खसरा नम्बर 6/23 स्थित है जो ग्राम रामपुरावास थली, पटवार हल्का थली, तहसील आंधी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त होकर खेती का कार्य करते आ रहे है तथा वर्तमान में भी खेती कर अपना व अपने परिवारजन का पालन पोषण कर रहे है। हाल सेटलमेंट से पूर्व नक्शें अनुसार प्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त है तथा उसी अनुसार मौके पर काश्त कर रहे है लेकिन हाल सेटलमेंट के बाद बने हाल नवीन नक्शा खसरा नम्बर 25 को नक्शें में कम करते हुये पडोसी खातेदार हाल खसरा नम्बर 26, 42/5, 153/42 की

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

भूमि को प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 25 में प्रवेश करते हुये नक्शा अंकित कर दिया है जबकि प्रार्थीगण पूर्व नक्शे अनुसार मौके पर काबिज काश्त है तथा खेती का कार्य कर रहे है लेकिन जो नवीन नक्शा कायम किया गया है वह बिना पूर्व नक्शें का मिलान किये व बिना मौके की जॉच किये बनाया गया है। जिस कारण नवीन नक्शें के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि मौके पर नापझोक करने पर कम पडती है जबकि पूर्व नक्शे अनुसार नापझोक करने पर सही आती है जिस कारण प्रार्थीगण के लिए उक्त दुरूस्त हेतु प्रार्थना पत्र. पेश करना आवश्यक हुआ है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा सेटलमेंट के दौरान जो नवीन नक्शा कायम किया है वह पूर्व नक्शें व मौका कब्जा कोई विधिक अधिकार नही है तथा जो नवीन नक्शा कायम किया गया है वह बिना मौके की जॉच व बिना रिकार्ड की जॉच किये व बिना पूर्व नक्शें की जॉच किये ही कायम किया गया है जिसका उनको कोई विधिक अधिकार नही था। जिसको दुरूस्त करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 25 के वर्तमान राजस्व नक्शें को पूर्व खसरा नम्बर 6/23 के नक्शा अनुसार दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी रजिस्टर्ड डाक से जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता श्री महेश शर्मा ने दिनांक 10.06.24 को प्रारम्भिक आपत्ति मय जवाब प्रा0 पत्र पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील अप्रार्थी ने प्रारम्भिक आपत्ति मय जवाब प्रा0 पत्र में निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में अंकित विवादित भूमि पूर्व मे सरकारी भूमि रही है, जो कि राजस्व नक्शों में मिन अप्रार्थीगण की भूमि के संबंध में पूर्व में नियमित राजस्व वाद नं0 212/2013 उनवान श्रवणलाल बनाम सरकार व अन्य वगै0 दावा घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट के तहत प्रस्तुत होकर बाद जॉच रिपोर्ट जवाब राज्य सरकार श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 05.09.2012 को निर्णय व डिक्री जारी करने पर मौके व हक अधिकार खातेदारी रकबा बरारी अनुसार मिन अप्रार्थीगण की भूमियों के राजस्व नक्शों में तरमीम दुरूस्ती व हक खातेदारी की घोषणा की गई है, जिसके अनुशरण में ही मिन अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 42 रकबा 1.0300है, 43 रकबा 1.3300है, 44 रकबा 1.0600है0 एवं खसरा नम्बर 41 गै0मु0रास्ता के राजस्व रिकार्ड व नक्शों में दुरूस्तीकरण सहित खातेदारी अंकित की गई है। जिसके पश्चात मौके कब्जे व हक हिस्सो अनुसार जरिये तकासमा के निर्णय अनुसार खसरा नम्बर 42 रकबा 1.0300है0 के वर्तमान खसरा नम्बर 42, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5 का राजस्व रिकार्ड व नक्शें कायम किये गये है। न्यायालय निर्णय व डिक्री उसके बाद मुताबिक रिकार्ड में अमल दरामदगी बाद मिन अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 42/5 की भूमि के संबंध में एवं उसके विरूद्व धारा 131, 132, 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नही किया जा सकता है। प्रार्थीगण के वर्तमान खसरा नम्बर 25 रकबा 2.2400है0 भूमि साबिक खसरा नम्बर 6/23 रकबा 10 बीघा मे से रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि भूतल परिवहन मन्त्रालय भारत सरकार के नाम बतौर अवाप्ति स्वीकार होने के उपरान्त खसरा नम्बर 6/23 मिन. रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा भूमि ही प्रार्थीगण के खातेदारी में रही है, जो कि वर्तमान खसरा नम्बर 25 रकबा 2.2400है0 भूमि के रकबा बरारी अनुसार है तथा मिन अप्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नमबर 42/5 का राजस्व नक्शा मुताबिक रकबा बरारी एवं पूर्व मुकदमों में पारित न्यायालय निर्णय व डिक्री अनुसार है, जिसके विरूद्व साबिक खसरा नम्बर 6/23 अनुसार नक्शा दूरूस्तीकरण कराने के प्रार्थीगण अधिकारी नही है। न्यायालय निर्णय व डिक्री अनुसार स्थित खसरा नम्बर 42 की भूमि एवं उसके बाद तकासमें में कायम खसरा नम्बर 42/5, 42/4, 42/3, 42/2, 42/1 की भूमियों अनुसूचित जन जाति के खातेदारी अनुसार कृषि भूमि है, जिनकी भूमि को किसी भी प्रकार से गैर अनुसूचित जन जाति समुदाय के व्यक्ति अर्थात प्रार्थीगण के स्वामित्व में नही दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भी प्रकरण कतई ही खारिज करने योग्य है। अतः प्रस्तुत प्रकरण को मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें तथा मिन अप्रार्थीगण के खातेदारी मालिकाना स्वामित्व की भूमि के संबंध में प्ररकण प्रस्तुत करने में प्रार्थीगण की भारी भूल के विरूद्व मिन अप्रार्थी को बतौर हर्जा खर्चा मुकदमा पारितोषिक दिलवाया जावे।

अप्रार्थी सं0 6 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/आरटी/2023/717 दिनांक 10.08.23 द्वारा जवाब पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के हाल खसरा नम्बर 25 तथा साबिक खसरा नम्बर 6/23 का हाल नक्शा एवं साबिक नक्शा से मिलान करने पर दोनों नक्शों में भिन्नता प्रकट होती है। जो साबिक नक्शेनुसार सही किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 25 के पडोसी खसरा नम्बर 26, 42/5, 153/42, पर दुरूस्ती बाबत दावा किया गया है जिसमे खसरा नम्बर 42/5, 26, 153/42 पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगए का स्थगन आदेश प्राप्त है।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

वकील उभय पक्षों की व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 25 रकबा 2.2400है0 के साबिक खसरा नम्बर 6/23 स्थित है। जो ग्राम रामपुरावास थली पटवार हल्का थली तहसील आंधी में स्थित है। हाल सेटलमेंट से पूर्व नक्शें अनुसार प्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त है तथा हाल सेटलमेंट के बाद बने हाल नवीन नक्शा खसरा नम्बर 25 के नक्शें को कम करते हुये पडोसी हाल खसरा नम्बर 26, 42/5, 153/42 भूमि की सीमाओं को बढाते हुये प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 25 में प्रवेश करवाते हुये नक्शा अंकित कर दिया गया। जिसकी दुरूस्ती बाबत उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया गया। पैरोकार सरकार ने भी अपने जवाब के बिन्दू संख्या 3 मे बताया है कि प्रार्थीगण के हाल खसरा नम्बर 25 तथा साबिक खसरा नम्बर 6/23 का हाल नक्शा एवं साबिक नक्शा से मिलान करने पर दोनों नक्शों में भिन्नता प्रकट होती है जो साबिक नक्शें अनुसार सही किये जाने योग्य है। बिन्दू सं0 3 के आधार पर पूर्व नक्शा के अनुसार हाल नक्शा खसरा नम्बर 25 को दुरूस्त किया जाना कानूनन आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के जवाब प्रार्थना पत्र की मद सं0 1 में अंकित पूर्व राजस्व वाद सं0 212/2012 उनवान श्रवण बनाम सरकार दावा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश होकर दिनांक 05.09.2012 को निर्णय किया गया जिसका उक्त प्रार्थना पत्र से किसी प्रकार का हक व संबंध सरोकार नही है। वाद सं0 212/2012 उनवान श्रवण बनाम सरकार में राजीनामे के आधार पर निर्णय पारित किया गया है तथा प्रार्थीगणों को उक्त वाद में पक्षकार भी नही बनाया गया है तथा उक्त प्रार्थना पत्र में केवल हाल खसरा नम्बर 25 के नक्शें को कम करते हुये सेटलमेंट के बाद खसरा नम्बर 26, 42/5, 153/42 की सीमाओं को बढाते हुये कायम किया गया जिस बाबत प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर निर्णय किया जाना आवश्यक है। जिस कारण आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। हाल सेटलमेंट के बाद खसरा नम्बर 25 की भूमि को खसरा नम्बर 26 की भूमि में न मिलाकर खसरा नम्बर 42/5, 153/42 की भूमि के नक्शें को त्रुटिपूर्ण करते हुये खसरा नम्बर 25 का नक्शा कम किया गया है। जिसको दुरूस्त किया जाना कानूनन आवश्यक है।जिस कारण आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। खसरा नम्बर 153/42 का खातेदार सुखपाल पुत्र जन्सीराम मीणा है जिसको अप्रार्थी सं0 5 बनाया जाकर नोटिस जारी किया जा चुका है तथा अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय को गुमराह करने के लिए बताया गया है कि खसरा नम्बर 153/42 का खातेदार सतीशचन्द शर्मा पुत्र रतनलाल शर्मा है। इसलिए उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 25 के वर्तमान राजस्व नक्शें को पूर्व खसरा नम्बर 6/23 के नक्शा अनुसार दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में दस्तावेज सूची पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय निर्णय व डिक्री अनुसार स्थित खसरा नम्बर 42 की भूमि एवं उसके बाद तकासमें में कायम खसरा नम्बर 42/5, 42/4, 42/3, 42/2, 42/1 की भूमियों अनुसूचित जन जाति के खातेदारी अनुसार कृषि भूमि है, जिनकी भूमि को किसी भी प्रकार से गैर अनुसूचित जन जाति समुदाय के व्यक्ति अर्थात प्रार्थीगण के स्वामित्व में नही दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भी प्रकरण कतई ही खारिज करने योग्य है। अतः प्रस्तुत प्रकरण को मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें तथा मिन अप्रार्थीगण के खातेदारी मालिकाना स्वामित्व की भूमि के संबंध में प्ररकण प्रस्तुत करने में प्रार्थीगण की भारी भूल के विरूद्व मिन अप्रार्थी को बतौर हर्जा खर्चा मुकदमा पारितोषिक दिलवाया जावे।

वकील उभय पक्षों व पैरोकार की बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि न्यायालय के राजस्व वाद सं0 212/2012 उनवान श्रवणलाल वगै0 बनाम सरकार वगै0 में प्रार्थीगणों को पक्षकार नही बनाया गया। अतः प्रार्थीगण अलग से वाद प्रस्तुत करने के हकाधिकारी है। अतः वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति खारिज की जाती है तथा प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार आंधी को आदेश दिये जाते है कि ग्राम रामपुरावास थली, पटवार हल्का थली, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 25 के वर्तमान राजस्व नक्शें को पूर्व खसरा नम्बर 6/23 के नक्शा अनुसार दुरूस्त करते हुये वर्तमान राजस्व नक्शें में कायम किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 02.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़-जयपुर